भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4156**

उत्तर देने की तारीख 19 मार्च, 2020
29 फाल्गुन, 1941 (शक)

# खिलाड़ियों को पेंशन

**4156. श्री गोपाल शेट्टीः**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं जहां अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को खेल से सेवानिवृत्ति के बाद गरीबी में रहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए खिलाड़ियों को पेंशन के लिए मेधावी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**
**(श्री किरेन रीजीजू)**

(क) और (ख) : सरकार के संज्ञान में आने वाले गरीबी की हालत में रह रहे खिलाड़ियों के मामलों और प्राप्त तत्संबंधी प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की जाती है और ऐसे खिलाड़ियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष की स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । 13.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व के 15 खिलाड़ियों को उनके चिकित्सीय उपचार, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष की स्कीम के अंतर्गत 59.32 लाख रु. की सहायता संस्वीकृत की गई है । यह मंत्रालय “मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन” की स्कीम भी कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत उन खिलाड़ियों, जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और विश्वकप/ विश्व चैंपियनशिप (ओलंपिक और एशियाई खेलों की खेल विधाओं में) तथा परालंपिक खेलों में पदक जीते हैं, को 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने या सक्रिय खेलों से उनके

संन्यास लेने के बाद, जो भी बाद में हो, 12,000 रु. से 20,000 रु. तक की जीवनपर्यंत मासिक पेंशन दी जाती है । इस समय इस स्कीम के अंतर्गत 627 खिलाड़ी जीवनपर्यंत मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ।

(ग) से (ङ) : महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन की स्कीम के अंतर्गत पेंशन की दरों को संशोधित किया है तथा 01.04.2018 से पेंशन की दरों को दुगुना कर दिया है ।

****